(1)

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक : ए.4( )लेखा/प्रतिबद्ध/2018–19/ दिनांक :–

अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ जयपुर,
अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।

विषयः– बीएसबीवाई योजना में बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि आय मद में जमा कराने बाबत्।

संदर्भः– संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स ऐजेन्सी एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के आदेश क्रमांकः एफ 1008(52)एनएचएम/स्वा0बीमा/योजना/2016–17/680 दिनांक 08.06.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों(जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पताल) को बीमा कम्पनी से वर्ष 2016–17 (01–04–2016 से) एवं आगामी अवधि के लिए प्राप्त सकल राशि में से उक्त आदेश में अंकितानुसार निर्धारित प्रतिशत राशि संबंधित बजट मद में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त एक माह में आवश्यक रूप से राजकोष में जमा करवाई जानी है। अतः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में प्राप्त सकल राशि में से निर्धारित प्रतिशत राशि आय मद 0210–04–800–06–01 में माह अप्रेल, 2018 में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ0वी.के.माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए–4 (1) लेखा/प्रतिबद्ध/2018–19/ 12 दिनांक : 05/4/18
प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी सर्वर, कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(डॉ0 वी.के.माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

(२)

# राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
## स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

क्रमांकः एफ 1008 (52)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/680 दिनांक : 8/6/17

**आदेश**

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों को बीमा कंपनी से वर्ष 2016–17 (01.04.2016 से) एवं आगामी अवधि के लिए प्राप्त सकल राशि में से राज्य कोष में नीचे वर्णित तालिका अनुसार निम्नांकित बजट मद में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:–

| क्र.सं. | संस्थान का प्रकार | बीएसबीवाई योजना में बीमा कम्पनी से वितिय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (लाखों में) | लौटाई जाने वाली राशि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 01 | जिला अस्पताल | <10 | 0 % |
| | | 10-30 | 15 % |
| | | 30-100 | 20 % |
| | | >100 | 25 % |
| 02 | मेडिकल कॉलेजो से सम्बद्व अस्पताल | upto 50 Lacs | 20 % |
| | | Above 50 Lacs | 25 % |

सभी अस्पताल उपरोक्तानुसार राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त एक माह में आवश्यक रूप से राज कोष में जमा कराते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस ऐजेंसी को सूचित करेगें। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अनुमत आवश्यक खर्चो का विवरण संलग्न है। योजनान्तर्गत अनुमत व्यय के उपरान्त शेष उपलब्ध राशि को मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपयोग किया जा सकेगा।

उक्त राशि निम्न राजस्व बजट मद में जमा करायी जावेगी:–

0210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
04– लोक स्वास्थ्य
800– अन्य प्राप्तियां
06– जन स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्तियां
01– निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 151700023 दिनांक 31.05.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस ऐजेंसी,
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांकः एफ 1008 (45)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/680 दिनांक : 8/6/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वा. मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।